

नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2005—आश्विन 15, शक 1927

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 648/30/सं./05

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान नियम-2005

प्रस्तावना:—

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी/संबंध रखने वाले ऐसे अप्रवासी भारतीय व्यक्तियों को, जिन्होंने अपने कार्य कौशल, परिश्रम के साथ देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया है, के योगदान को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से, "छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान" देने का निर्णय लिया है. इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान" नियम-2005 है.
- (2) ये नियम राज्य शासन द्वारा इनके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.
- (ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जुरी) से है.

3. सम्मान का स्वरूप—

अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम के साथ देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास अथवा आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए स्वयं को विदेश में स्थापित कर प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण करने वाले एक अप्रवासी भारतीय को पुरस्कार राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका, प्रशस्ति-पत्र के रूप में दी जाएगी। यह सम्मान उपरोक्तानुसार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जुरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा। प्रशस्ति-पत्र पृथक से दिया जावेगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन—

राज्य शासन, सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य तथा आर्थिक क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जुरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगा, गठन करेगा।

5. निर्णायक मंडल की शक्तियां—

- (1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा।
- (2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जुरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्य के अनुरूप पाए।
- (4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
- (5) निर्णायक मंडल (जुरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशांसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जाएगा।
- (6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6. चयन की प्रक्रिया—

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी—

- (1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु राज्य शासन की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से संचालनालय, संस्कृति अथवा जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में तथा राज्य शासन की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।
- (2) प्रविष्टि प्रमुख सचिव, संचालनालय, संस्कृति को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाएगी :—
 - (क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय।
 - (ख) अप्रवासी भारतीय द्वारा विदेश में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
 - (ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका सप्रमाण विवरण।
 - (घ) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।
- (3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
 - (ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है।
- (4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्तुर्वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- (5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।
- (6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा।

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (7) पंजीयन के पश्चात् संचालनालय, संस्कृति द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा—

- (1) व्यक्ति का नाम एवं पता,
- (2) प्रस्तावना,
- (3) “सम्मान” के विषय की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्योरा,
- (4) प्राप्त अन्य पुरस्कार/सम्मान,
- (5) प्रमाण.

7. चयन का मानदण्ड—

सम्मान के लिए अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम से देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए स्वयं को स्थापित कर विदेश में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण करने वाले एक अप्रवासी भारतीय व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

- (1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिसने अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम से विदेश में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण किया हो।
- (2) निर्णायक मंडल व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये गये तथा वर्तमान में किये जा रहे दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगा।
- (3) निर्णायक मंडल व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों से यह संतुष्टि करेगा कि सम्मान के लिए बतायी गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं।
- (4) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मंडल में व्यक्ति से संबंधित सदस्य है।

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अलंकरण समारोह संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति आमंत्रित किया जाएगा। सम्मान प्राप्त व्यक्ति को सम्मान समारोह में उपस्थित होने की शर्त पर शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. व्यय की संपूर्ति—

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी.

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—

राज्य शासन संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी, ऐसे संबंधित विषय, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्टित होंगे.

12. अन्य दायित्वों का निर्वहन—

प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड अलग-अलग जिल्द में संचालनालय संस्कृति द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित व्यक्ति के सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी, जिसमें सम्मान के उद्देश्यों, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.